

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4019]

No. 4019]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2019/अग्रहायण 26, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2019/AGRAHAYANA 26, 1941

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4478 (अ).—युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचनाओं का.आ. 973(अ), दिनांक 12 नवंबर, 1998 और का.आ. 525(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत सरकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) की अधिसूचना का.आ. 973(अ), दिनांक 12 नवंबर, 1998 में विनिर्दिष्ट कार्यों का वहन करने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) की परिषद् में निम्नलिखित बदलाव करती है:

परिषद का गठन :

1.	युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
3.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हों	सदस्य (पदेन)
5.	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
6-7	सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, पेट्रोलियम खेल नियंत्रण बोर्ड, पेट्रोलियम खेल नियंत्रण बोर्ड, रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड, अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड और एसएआईएल खेल नियंत्रण बोर्ड से चक्रानुक्रम में दो प्रतिनिधि	सदस्य

6440 GI/2019 (1)

8. 9.	निम्नलिखित मुख्य निजी/सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के सीएमडी/ एमडी श्री अजय सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, स्पाइसजेट लिमिटेड । श्री अजय एस. श्रीराम, अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	सदस्य
10.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड	
11.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	
12.	संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य-सचिव (पदेन)

- 2. सदस्यता की अविधि : परिषद् में गैर-सरकारी सदस्यों की सदस्यता की अविधि 3 वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
- 3. परिषद् की बैठक : इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खेल विकास निधि से संबंधित उन नीतिगत मामलों या मुद्दों, जिन पर समिति द्वारा निर्णय लिए जाने हैं, पर निर्णय लेने के लिए परिषद वर्ष में कम से कम दो बार या दो से अधिक बार बैठकें आयोजित करेगी।
- **4. कोरम** : परिषद् की बैठक के लिए कोरम परिषद् की कुल सदस्यता का एक तिहाई होगा जिसमें कम से कम अध्यक्ष सहित तीन पदेन सदस्य होंगे ।

[फा. सं. 20-10/2012-खेल-II/एनएसडीएफ] एल. सिद्धार्थ सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2019

S.O. 4478(E).—In partial modification of Government of India, Ministry of Youth Affairs & Sports Notifications S.O. 973(E), dated 12th November, 1998 and S.O. 525(E), dated 22nd March, 2012, the Central Government makes the following changes in the Council of the National Sports Development Fund (NSDF) to discharge the functions specified in the Government of India (Ministry of Youth Affairs and Sports) Notification S.O. 973(E), dated 12th November, 1998:

Constitution of the Council:

1.	Union Minister In-charge for Youth Affairs & Sports	Chairperson (ex-officio)
2.	Secretary to the Government of India, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member (ex-officio)
3.	Director General, Sports Authority of India	Member (ex-officio)

4.	Secretary to the Government of India, Department of Public Enterprises or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member (ex-officio)
5.	Financial Advisor, Ministry of Youth Affairs and Sports	Member (ex-officio)
6-7	Two representatives, by rotation, from Services Sports Control Board, Petroleum Sports Control Board, Railway Sports Promotion Board, All India Police Sports Control Board and SAIL Sports Control Board	Member
	CMDs/MDs of following major private / public sector companies:	Member(s)
8.	Shri Ajay Singh, Chairman & Managing Director SpiceJet Limited.	
9.	Shri Ajay S Shriram Chairman & Sr. Managing Director DCM Shriram Limited	
10.	Chairman & Managing Director Coal India Limited.	
11.	Chairman & Managing Director India infrastructure Finance Co. Ltd.	
12.	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member-Secretary
		(ex-officio)

- **Duration of membership:** Duration of membership of non-official members in the Council shall be for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
- **Meeting of the Council:** Further the Central Government decides that the Council shall meet at least two times or more in a year to decide policy matters or issues relating to the Fund, on which its decisions are sought by the Committee.
- **Quorum:** Quorum for a meeting of the Council shall be one third of the total membership of the Council, of which, at least three shall be Ex-officio members including the chairperson.

[F. No. 20-10/2012-SP-II/NSDF] L. SIDDHARTHA SINGH, Jt. Secy.